बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग
सरदार पटेल भवन, ब्लॉक–सी0, नेहरू पथ, पटना–800023

विज्ञापन संख्या : SDRF/01/2025

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन राज्य आपदा मोचन बल (एस0डी0आर0एफ0), बिहटा, पटना के निम्नलिखित रिक्त पदों पर **संविदा के आधार पर एकमुश्त मानदेय पर भर्ती हेतु भारतीय सेना/नौ सेना के सेवानिवृत्त जूनियर कमीशन प्राप्त/नन कमीशन प्राप्त अधिकारियों एवं जवानों, केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों (CPMF) के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं जवानों से** आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते है। तैराकी, गोताखोरी, मोटरबोट ड्राईविंग में निपुण अभ्यर्थियों को भर्त्ती में प्राथमिकता दी जाएगी।

1. रिक्त पदों की पदवार/कोटिवार संख्या निम्नवत् है:–

क्र०	पदनाम	रिक्त पदों की सं0	अना०	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	पि० वर्ग	अ०पि० वर्ग	अनु० जाति	अनु० जन जाति	पि०व० की महिला	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी हेतु आरक्षित पदों की सं0	दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की सं0
			35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	निरीक्षक कार्यपालक	34	10	02	04	06	05	01	01	01	OH-01 MD-01
			05	00	00	00	00	00			
2	अवर निरीक्षक कार्यपालक	88	14	03	08	21	19	02	04	02	OH-01 MD-01 VI-01 DD-01
			07	02	02	03	03	00			
3	हेड कांस्टेबल (ग्राउन्ड ड्यूटी रेडियो ऑपरेटर)	117	25	06	08	20	20	02	05	02	OH-02 MD-01 VI-01 DD-01
			13	03	04	06	05	00			
4	हेड कांस्टेबल /कांस्टेबल (चालक)	82	17	05	06	13	12	01	04	01	
			10	02	03	05	04	00			
कुल पदों की संख्या		321	101	23	35	74	68	6	14	06	11

<u>नोटः</u>–1. दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शायी गयी है :–VI-दृष्टि दिव्यांग, DD-मूक–बधिर दिव्यांग, OH-चलन दिव्यांग एवं MD-मनोविकार दिव्यांग।

2. <u>नियोजन अवधि :–</u>

"संविदा के आधार पर प्रथमतः 05 (पाँच) वर्षों के लिए नियोजित किया जायेगा तथा उनकी कार्य दक्षता एवं आचरण के आधार पर आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए अगले 10 (दस) वर्षो तक सेवा विस्तार दिया जा सकेगा, परन्तु किसी भी परिस्थिति में कर्मी के 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात सेवा विस्तार नहीं दिया जायेगा।"

3. <u>योग्यता :–</u>

क्र0	पदनाम	नियत मानदेय (प्रति माह)	योग्यता	अधिकतम उम्र सीमा
1	निरीक्षक कार्यपालक	₹38,640/–	सूबेदार मेजर/सूबेदार/ निरीक्षक के समकक्ष	50 वर्ष
2.	अवर निरीक्षक कार्यपालक	₹38,640/–	सूबेदार/नायब सूबेदार/निरीक्षक/अवर निरीक्षक के समकक्ष	50 वर्ष
3.	हेड कांस्टेबल (ग्राउन्ड ड्यूटी रेडियो ऑपरेटर)	₹24,840/–	हवलदार के समकक्ष।	50 वर्ष
4.	हेड कांस्टेबल (चालक)	₹24,840/–	हवलदार के समकक्ष।	50 वर्ष
	कांस्टेबल (चालक)	₹20,700/–	सिपाही के समकक्ष।	40 वर्ष

आवेदक के उम्र सीमा की गणना दिनांक–01.01.2025 (कट–ऑफ डेट) के आधार पर की जाएगी। समान योग्यता रहने पर चयन में कम उम्र के आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

4. **नियोजन के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्त्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा :–**

(क) मेडिकल कैटेगरी : सेवानिवृत्ति के समय SHAPE-1 तथा नियुक्ति से पहले मेडिकल जाँच में पूरी तरह योग्य पाये जाने पर।

(ख) आचरण : सेवानिवृत्ति के समय EXEMPLARY होनी चाहिए।

5. **भर्त्ती प्रक्रिया:–**

5.1 <u>निरीक्षक कार्यपालक/अवर निरीक्षक (कार्यपालक)</u>

I. दस्तावेजों का सत्यापन – **दस्तावेज सत्यापन में योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थी ही शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल किये जायेंगे।**

II. शारीरिक दक्षता परीक्षा (योग्यता) 12 मिनट में एक मील दौड़ – **शारीरिक दक्षता परीक्षा में योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थी ही तैराकी जाँच में शामिल किये जायेंगे।**

III. तैराकी जाँच – **तैराकी जाँच में योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा में शामिल किये जायेंगे।**

IV. सम–सामयिक विषय (current Affairs) पर निबंध लेखन की लिखित परीक्षा, समय 30 मिनट (20 अंक) — लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर चयनित अभ्यर्थी ही शारीरिक स्वास्थ्य जाँच हेतु मेडिकल बोर्ड में भाग लेंगे।

V. साक्षात्कार (30 अंक)

VI. मेडिकल बोर्ड द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य जाँच

5.2 हेड कांस्टेबल ग्राउन्ड ड्यूटी/रेडियो ऑपरेटर

I. दस्तावेजों का सत्यापन – दस्तावेज सत्यापन में योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थी ही शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल किये जायेंगे।

II. शारीरिक दक्षता परीक्षा (योग्यता)
(i) 10 मिनट में एक मील दौड़
(ii) बीमः– 3 पुल अप
(iii) लंबी कूद 8 फीट (केवल तीन मौके)
(iv) उँची कूद– तीन फीट (केवल तीन मौके)

शारीरिक दक्षता परीक्षा में योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थी ही तैराकी जाँच में शामिल किये जायेंगे।

III. तैराकी जाँच — तैराकी जाँच में योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थी ही साक्षात्कार में शामिल किये जायेंगे।

IV. साक्षात्कार (20 अंक) — साक्षात्कार के आधार पर चयनित अभ्यर्थी ही मेडिकल बोर्ड में भाग लेंगे।

V. मेडिकल बोर्ड द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य जाँच

5.3 हेड कांस्टेबल/ कांस्टेबल (चालक)

I. दस्तावेजों का सत्यापन – दस्तावेज सत्यापन में योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थी ही शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल किये जायेंगे।

II. शारीरिक दक्षता परीक्षा (योग्यता)
10 मिनट में एक मील दौड़ — शारीरिक दक्षता परीक्षा में योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थी ही तैराकी जाँच में शामिल किये जायेंगे।

III. चालक निपुणता की जाँच — चालक निपुणता एवं तैराकी जाँच में योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थी ही साक्षात्कार में शामिल किये जायेंगे।

IV. तैराकी जाँच

V. साक्षात्कार। (20 अंक) साक्षात्कार के आधार पर चयनित अभ्यर्थी ही मेडिकल बोर्ड में भाग लेंगे।

VI. मेडिकल बोर्ड द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य जाँच।

6. **आरक्षण :–**

6.1 आवेदन समर्पित करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा एवं उन्हें सामान्य/अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा।

6.2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिः– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

6.3. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्गः– पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए अपने स्थायी अधिवास राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

6.4. आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम एवं पता से।

उपर्युक्त आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जाएगा।

7. **स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतिनी अभ्यर्थियों के लिएः**– सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–2526 दिनांक–18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतिनी को 02% (दो प्रतिशत) आरक्षण देय है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कर्णांकित रिक्तियों की संख्या तालिका में अंकित है। क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–11687 दिनांक–30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी होने का) प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय–पत्र मान्य नहीं है)

8. **दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिएः**– सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं0–13062 दिनांक–12.10.2017 के प्रावधान के आलोक में निरीक्षक कार्यपालक, अवर निरीक्षक कार्यपालक एवं हेड कॉन्सटेबल (ग्राउन्ड ड्यूटी रेडियो ऑपरेटर) पद में दिव्यांग अभ्यर्थियों को

क्षैतिज आरक्षण देय है तथा विभाग द्वारा हेड कॉन्सटेबल/कॉन्सटेबल (चालक) पद को दिव्यांगता आरक्षण से स्थायी रूप से विमुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

9. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या–2342 दिनांक–15.02.2016 के अनुसार बिहार सरकार के सभी सरकारी सेवाएँ/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति/संविदा नियुक्ति में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35% (पैंतीस प्रतिशत) क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कर्णांकित आरक्षित पदों की पदवार एवं कोटिवार संख्या तालिका में अंकित है।

10. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, सरकार की अधिसूचना सं0–2622 दिनांक–26.02.2019 के आलोक में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देय है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कर्णांकित रिक्तियों की संख्या तालिका में अंकित है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, सरकार की अधिसूचना सं0–2622 दिनांक–26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण–पत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना अनिवार्य है अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासी को होगा। आय एवं परिसम्पति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जाएगा।

11. **सामान्य निर्देश** :–

(i) आवेदन–पत्र अभ्यर्थी को अपनी लिखावट में भरना होगा (अनुलग्नक–I)।

(ii) आवेदन–पत्र वाले लिफाफे पर पद का नाम मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए।

(iii) आवेदन–पत्र जमा करने की निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(iv) सभी पात्र उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा/साक्षात्कार/जाँच आदि में उपस्थित होने के लिए पंजीकृत डाक/टेलीफोन के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

(v) उन उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जायेगी, जो न्यूनतम पात्रता/मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं।

(vi) आवेदन–पत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में निर्णय लेने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा।

(vii) साक्षात्कार/टेस्ट आदि के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को कोई टीए/डीए देय नहीं होगा।

(viii) चयनित उम्मीदवारों को चयन के उपरान्त एवं सेवा के दौरान भारत में किसी स्थान पर आपदा प्रतिक्रिया में बुनियादी/विशेष प्रशिक्षण में शामिल होना होगा। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने में असफल रहने वाले उम्मीदवारों की सेवा को समाप्त किया जा सकता है।

(ix) चयनित उम्मीदवार को आवश्यकता पड़ने पर राज्य या राज्य से बाहर भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है।

(x) आवश्यकता के अनुसार पद और रिक्तियाँ किसी भी समय परिवर्तित किया जा सकता है।

(xi) अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होगा।

(xii) **आवेदन–पत्र का विहित प्रारूप अनुलग्नक–I में संलग्न है।**

12. **आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला दस्तावेज :–**

(i) जन्म प्रमाण–पत्र/मैट्रिक प्रमाण–पत्र या समकक्ष की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।

(ii) शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता एवं अनुभव प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।

(iii) पुरस्कार/पदक प्राप्त होने संबंधी प्रमाण–पत्र (यदि हों) की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।

(iv) चालक के पद के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए ड्राईविंग लाईसेन्स की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।

(v) डिस्चार्ज प्रमाण–पत्र एवं चरित्र प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।

(vi) दो हालिया पासपोर्ट साईज स्व–अभिप्रमाणित फोटो (एक आवेदक पर चिपका हुआ एवं दूसरा आवेदन के साथ संलग्न किया हुआ)।

(vii) 45 रू0 की डाक टिकटों के साथ 02 स्वपता लिखा लिफाफे।

(viii) वार्षिक आय प्रमाण–पत्र या आयकर रिटर्न की प्रति।

28/1/25

(साहिल)
संयुक्त सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग
बिहार, पटना।

F:\2025\Chandan Kumar I\Flowers SDRF\Adv.(09-01-2025).doc

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ब्लॉक–सी0, सरदार पटेल भवन, बेली रोड, पटना–800023

विज्ञापन संख्या–SDRF/01/2025

एस०डी०आर०एफ० में संविदा के आधार पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र

आवेदित पद का नामः– [ ]

(अनिवार्य रूप से भरा होना चाहिए)

हाल का स्वअभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो

1. आवेदक का पूरा नामः–
2. पिता का नामः–
3. स्थायी पताः–
4. पत्राचार का पताः–
5. दूरभाष / मो0नं0ः–
6. राष्ट्रीयताः–
7. धर्मः–
8. जातिः–
9. आरक्षण कोटि :–
10. जन्म तिथिः–
11. दिनांक–01.01.2025 को उम्रः–
12. पहचान चिन्ह (i):–

    (ii):–
13. शैक्षणिक योग्यताः–
14. तकनीकी योग्यताः–
15. अनुभव (ट्रेड के अनुसार अवधि के साथ):–
16. ज्ञान (तैराकी / गोताखोरी का स्तर आदि):–
17. विवाहित / अविवाहितः–
18. सेना / नौसेना / केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में पिछली नौकरियों का ब्योराः–
    (i) किस पद से सेवानिवृत्त हुएः–
    (ii) खण्ड / कोर / विंग जिससे सेवानिवृत्त हुएः–
    (iii) सेवानिवृत्ति / सेवा परित्याग की तिथिः–
19. पुरस्कार / पदक / प्रशस्ति पत्र (यदि कोई हो):–
20. जाँच / पुलिस केस / अपराध सिद्धि / सजा / सरकारी सेवा में रोक आदि (यदि कोई हो तो ब्योरा सहित):–

21. अनुलग्नकों की सूचीः– I.
II.
III.
IV.
V.
आदि।

22. **घोषणाः–** मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन–पत्र में मेरे द्वारा दी गयी सभी सूचनायें एवं प्रविष्टियाँ सत्य एवं सही हैं। मैं जानता/जानती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी कोई भी सूचना या जानकारी गलत पाये जाने पर साक्षात्कार के उपरांत भी मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

स्थानः–
दिनांकः–

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट :–1. आवेदक का आवेदन विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर उपर्युक्त पते पर अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।
2. आवेदन–पत्र में विहित स्थानों पर आवेदित पद का नाम अंकित नहीं रहने पर आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
3. आवेदन–पत्र में विहित स्थानों पर जाति तथा आरक्षण की कोटि इंगित नहीं रहने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा एवं अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा।

23. उम्मीदवारों को अपना आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीकृत डाक के माध्यम से नीचे अंकित पते पर उपलब्ध कराना है :–

संयुक्त सचिव,
आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार,
ब्लॉक–सी0, सरदार पटेल भवन, बेली रोड, पटना–800023